

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

107 दं0प्र0सं0

प्रथम पक्ष - जुएल टोपनोबगैरह ।

बनाम

द्वितीय पक्ष - एफिल टोपनो बगैरह ।

द सं0 137 / 2022

आदेश
की
क्र
सं0
एवं
तिथि

दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

आदेश
पर की
गई
कार्रवाई
टिप्पणी

14/2/22
उक्त वाद की कार्रवाई थाना कामडारा के अप्राथमिकी सं0 23/2022 दिनांक 28/11/2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है प्रथम पक्ष (1) जुएल टोपनो उम्र 67 वर्ष पिता स्व0 प्रसाद मुण्डा टोपनो (2) एलेकजेण्डर टोपनो उम्र 35 वर्ष पिता जुएल टोपनो सभी ग्राम चितापीडी थाना कामडारा जिला गुमला बनाम द्वितीय पक्ष (1) एफिल टोपनो उम्र 40वर्ष पिता स्व0 दानियल मुण्डा (2) इसाक टोपनो उम्र 35वर्ष पिता स्व0 दानियल मुण्डा (3) रंजन टोपनो उम्र 30 वर्ष पिता लोडगो मुण्डा (4) लुडगो मुण्डा उम्र 69 वर्ष पिता स्व0 वरना मुण्डा सभी ग्राम चितापीडी थाना कामडारा जिला गुमला, थाना कामडारा, जिला गुमला के बीच मौजा भूमि लेकर विवाद हैं। फलस्वरूप उभय पक्षों के बीच शांति व्यवस्था भंग होने की संम्भावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तदनुसार दं0प्र0सं0 की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया ।


उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :-

उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी कामडारा या अन्य स्रोतों से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी हैं।

अतः उभय पक्षों के बीच उक्त वाद की कार्रवाई के समय अवधि में किसी प्रकार की शांति भंग नहीं होने की सूचना अप्राप्त होने एवं वाद की कार्रवाई समाप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है।

लेखापित ।




अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।